

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक :-एफ-१(२६)आरडी/नरेगा/टाईम टॉर्क/२०११-१२ जयपुर, दिनांक

10 MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समर्त(राजस्थान)।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय एवं
टॉर्क के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

गत कुछ वर्षों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में अत्याधिक वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी हास होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है अन्यथा श्रमिकों में विभिन्न बिमारियों का प्रकोप होने की संभावना है। भीषण गर्मी में कार्य करने से तापधात एवं मृत्यु तक हो सकती है। अतः ऐसी घटनाओं को निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है कि नरेगा श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से इस संबंध में राहत प्रदान की जावे।

उक्त परिदृश्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 10 मई, 2013 को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रचलित टॉर्क में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है अर्थात् नरेगा के तहत निर्धारित टॉर्क दर ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित टॉर्क दरों का 50 प्रतिशत रहेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थल पर नियोजित मेट द्वारा कार्यों का संचालन इस प्रकार किया जावे कि श्रमिक प्रातः 6 बजे से कार्य करते हुए बिना अंतराल किये 10 बजे तक उक्त निर्धारित टॉर्क पूर्ण कर घर लौट सके। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव लागू होगी एवं 30 जून, 2013 तक अथवा मानसून आने तक जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी रहेगी।

भवदीय,

(री.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2- निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

- 4- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 5- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस/ आपदा प्रबन्धन।
- 6- निजी सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 7- समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)।
- 8- एम.आई.एस. मैनेजर कार्यालय हाजा को ई-मेल करने एवं वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- रक्षित पत्रावली।



परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस